न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमती हुकम कंवर, R.A.S.**

प्रकरण संख्या : 35 / 23 GCMS id : 2023 / 61

1. नन्दकिशोर पुत्र स्व. लालू
2. मुकेश पुत्र स्व. लालू
3. रमेश पुत्र स्व. लालू
4. ऊजना बाई पत्नी स्व. लालू
   जाति मीणा, निवासीगण सरकारी स्कूल के पास, बडगांव दोहन्या, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5. नन्दकुंवर पुत्री स्व. लालू पत्नी राजेन्द्र मीणा, जाति मीणा, निवासिनी महीपपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

– (वादीगण)

बनाम

1. चन्दा बाई पुत्री स्व. राधेश्याम
2. दीपू पुत्र स्व. राधेश्याम
3. सोनू पुत्र स्व. राधेश्याम
4. नन्द बिहारी पुत्र स्व. राधेश्याम
5. प्रेमबाई पत्नी स्व. राधेश्याम
   जाति मीणा, निवासीगण ग्राम बक्सपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
6. नन्दू पुत्री स्व. नाथूलाल
7. प्रहलाद पुत्र स्व. नाथूलाल
8. रामभरोस पुत्र स्व. नाथूलाल
9. सुरेश बाई पुत्री स्व. नाथूलाल
10. पुष्पा बाई पत्नी स्व. नाथूलाल
    जाति मीणा, निवासीगण ग्राम बक्सपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
11. बद्रीलाल पुत्र कंवरलाल , जाति भील, निवासी ग्राम खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, झालावाड
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राज0टी0ए0

उपस्थिति : श्री दयाराम सेन, अभिभाषक वादीगण

निर्णय

दिनांक : 23.10.2024

1- वादीगण की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत की धारा 53, 88, 89, 90, 92ए, के अन्तर्गत एक वाद, बाबत विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।

2- वादीगण की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

~ ग्राम रांवठा व ग्राम बक्शपुरा में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 के संयुक्त पुश्तैनी खाते की आराजीयात स्थित है।

~ ग्राम बक्शपुरा की आराजी खसरा नम्बर 19, 179, 180 कुल किता 3 रकबा 3.24 हैक्टर में निहित वादीगण के 1/3 हिस्से का वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम–11 को बेचान किया जा चुका है तथा उक्त बेचान के आधार पर विवादित आराजी में निहित वादीगण का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी क्रम–11 के खाते दर्ज हो चुका है। इस कारण वादीगण द्वारा ग्राम बक्शपुरा की आराजी में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

~ इसी प्रकार ग्राम रांवठा की आराजी में भी वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है क्योंकि पूर्व में उक्त आराजी का गत खसरा नम्बर 109 रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा नाथूलाल, लालू, रोधेश्याम के खाते दर्ज थी।

~ गत खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 160 रकबा 3.33 हैक्टर कायम किये गये तथा संवत 2038–2057 में भी उक्त नये खसरा नम्बर 160 रकबा 3.33 हैक्टर आराजी नाथूलाल, लालू, राधेश्याम की संयुक्त खातेदारी में ही दर्ज रही है।

~ जमावन्दी सांवत 2042–2050 में बिना किसी साक्षम आदेश के ही वादीगण के पिता लालू का नाम हटा दिया तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 3.33 हैक्टर में नाथूलाल व राधेश्याम का ही नाम दर्ज किया गया।

~ जमावन्दी संवत 2051–2054 व संवत 2059–2062 में भी विवादित आराजी नाथूलाल के वारिसान व राधेश्याम का ही नाम दर्ज है।

~ जमावन्दी में दर्ज अपने नाम के आधार पर प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 10 के दिल में बदनियति आ गई है तथा वह ग्राम सांवठा की सम्पूर्ण विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिसका कि उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है।

~ नाम दर्ज होने के आधार पर प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 10 द्वारा दिनांक 05.04.2023 को भूमि बेचने की धमकी देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ जो लगातार है।

~ वादीगण को पूर्व में इसकी जानकारी नहीं हो सकी क्योंकि पूर्व में कभी भी प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी के सम्बन्ध में विवाद नहीं किया।

~ हाल ही में प्रतिवादीगण विवाद करने लगे तो वादीगण ने समस्त राजस्व रिकार्ड की नकलें निकलवाकर वकील साहब को दिखाई तो पता चला कि सेटलमेन्ट के बाद के रिकार्ड से सहखातेदार स्व. लालू का नाम हटा दिया गया है।

~ इस कारण वादीगण के लिये माननीय न्यायालय में वाद पेश कर उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाकर ग्राम सांवठा की आराजी में अपना नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है।

~ अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण को ग्राम सांवठा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी सेटलमेन्ट पूव्र खसरा नम्बर 109 जिसके हाल खसरा नम्बर 160 रकाब 2.22 हैक्टर में प्रतिवादीगण के साथ वादीगण का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाकर उक्त आराजी का वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। तथा उक्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा किया जाकर उक्त आराजी में वादीगण के हिस्सा आराजी का पृथक खाता व लगान कायम किया जावे तथा मौके पर भौतिक कब्जा दिलवाया जावे तथा पृथक नक्शा कायम किया जावे।

~ वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्नांकितम दस्तावेज पेश किये जिन पर दौराने साक्ष्य प्रदर्श डाले गये –

प्रदर्श–1 : नकल जमावन्दी संवत 2071–2074, ग्राम सांवठा
प्रदर्श–2 : नकल जमावन्दी संवत 2059–2062, ग्राम सांवठा
प्रदर्श–3 : नकल जमावन्दी संवत 2042–2050, ग्राम सांवठा
प्रदर्श–4 : नकल जमाबन्दी संवत 2051–2054, ग्राम सांवठा
प्रदर्श–5 : मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057, ग्राम सांवठा
प्रदर्श–6 : नकल जमावन्दी संवत 2038–2057, ग्राम सांवठा
प्रदर्श–7 : नकल जमावन्दी संवत 2063–2066, ग्राम सांवठा
प्रदर्श–8 : नकल जमावन्दी संवत 2067–2070, ग्राम सांवठा
प्रदर्श–9 : नकल जमावन्दी संवत 2032–2035, ग्राम सांवठा
प्रदर्श–10 : नकल जमावन्दी संवत 2071–2074, ग्राम बक्शपुरा
प्रदर्श–11 : नकल जमावन्दी संवत 2059–2062, ग्राम बक्शपुरा
प्रदर्श–12 : नकल जमावन्दी संवत 2051–2054, ग्राम बक्शपुरा
प्रदर्श–13 : नकल जमावन्दी संवत 2055–2058, ग्राम बक्शपुरा
प्रदर्श–14 : नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057, ग्राम बक्शपुरा
प्रदर्श–15 : नकल जमावन्दी संवत 2038–2057, ग्राम बक्शपुरा
प्रदर्श–16 : नकल जमावन्दी संवत 2031–2034, ग्राम बक्शपुरा

3- न्यायालय में पेश वादपत्र में अंकित प्रतिवादीगण की तलवी हेतु जर्ये पंजीकृत डाक तलवी सम्मन जारी किये गये। वादी अभिभाषक द्वारा उक्त डाक की Track Consignment Report पेश की गई जिसके अनुसार Item Delivered (Addressee) हो जाने पर भी नियत पेशी दिवस तक प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 10 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जबकि प्रतिवादी क्रम–11 की ओर से वकालतनामा तो पेश हुआ परन्तु इसके बाद के नियत पेशी दिवसों में प्रतिवादी क्रम–11 की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। यद्यपि वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम–11 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। फलस्वरूप नियत पेशी

दिवस की जानकारी/सूचना होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने के कारण आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6[1](क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से उनकी ओर से कोई जवाब दावा पेश नहीं होने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई तथा वादिनी की ओर से पेश किये गये साक्ष्य के शपथ पत्र पर भी कोई जिरह नहीं किये जाने के कारण वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई।

4- वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रांवठा व ग्राम बक्शपुरा में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 की पुश्तैनी खाते की आराजी स्थित थी। इनमें से ग्राम बक्शपुरा की आराजी खसरा नम्बर 19, 179, 180 कुल किता 3 रकबा 3.24 हैक्टर में निहित वादीगण के 1/3 हिस्से का पूर्व में ही वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम–11 को बेचान किया जा चुका है जो प्रतिवादी क्रम–11 के खाते दर्ज भी हो चुका है इसलिये वादीगण द्वारा ग्राम बक्शपुरा की आराजी में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। ग्राम बक्शपुरा के समान ही ग्राम रांवठा की आराजी में भी वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित था जो कि नकल जमाबन्दी संवत 2032–2035 एवं जमाबन्दी संवत 2038–2057 से स्वतः ही स्पष्ट है। दौराने सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत 2042–2050 में बिना किसी सक्षम आदेश के ही वादीगण के पिता लालू का नाम हटा दिया तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 3.33 हैक्टर में नाथूलाल व राधेश्याम का ही नाम दर्ज किया गया। जमाबन्दी संवत 2051–2054 व संवत 2059–2062 में भी विवादित आराजी नाथूलाल के वारिसान व राधेश्याम का ही नाम दर्ज किया गया। वादीगण को पूर्व में इसकी जानकारी नहीं हो सकी। जब वे ग्राम रांवठा की सम्पूर्ण विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हुये तब वादीगण को ग्राम रांवठा की विवादित आराजी की नकलें निकलवाने पर जानकारी हुई कि संयुक्त खातेदारी की आराजी से वादीगण के पिता का नाम हटा दिया गया गया है। इस कारण वादीगण के लिये माननीय न्यायालय में वाद पेश कर उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाकर ग्राम रांवठा की आराजी में अपना नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण को ग्राम रांवठा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 160 रकाब 2.22 हैक्टर में प्रतिवादीगण के साथ वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। उक्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा किया जाकर उक्त आराजी में वादीगण के हिस्सा आराजी का पृथक खाता व लगान कायम किया जावे तथा मौके पर भौतिक कब्जा दिलवाया जावे तथा पृथक नक्शा कायम किया जावे।

5- प्रस्तुत प्रकरण पर सुनी गई एकपक्षीय बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि –

- मुताबिक नकल जमाबन्दी प्रदर्श–6, प्रदश–9, प्रदर्श–15 व प्रदर्श–16 ग्राम रांवठा व ग्राम बक्शपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की संयुक्त खाते की विवादित आराजी में वादीगण के पिता स्व. लालू पुत्र श्रीकिशन का 1/3 हिस्सा निहित था।
- इसमें से ग्राम बक्शपुरा की विवादित आराजी में निहित अपने 1/3 हिस्से का प्रतिवादी क्रम–11 को बेचान किया जा चुका है तथा नकल जमाबन्दी संवत 2071–2074 (प्रदर्श–10) के अनुसार बेचान उपरान्त उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम–11 के खाते दर्ज हो चुकी है।
- ग्राम रांवठा की आराजी की नकल जमाबन्दी संवत 2042–2050 (प्रदर्श–3), संवत 2051–2054 (प्रदर्श–4), संवत 2059–2062 (प्रदर्श–2) व संवत 2071–2074 (प्रदर्श–1) में सहखातेदार स्व. लालू अथवा उसके वारिसान का नाम दर्ज नहीं है, जिसे दर्ज करवाने के लिये वादीगण द्वारा यह दावा पेश किया गया है।
- वादीगण की ओर से पेश नकल जमाबन्दी संवत 2032–2035 (प्रदर्श–9) एवं जमाबन्दी संवत 2038–2057 (प्रदर्श–6) के अनुसार ग्राम रांवठा की विवादित आराजी नाथूलाल, लालू, राधेश्याम पिसरान श्रीकिशन की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी।
- दौराने सेटलमेन्ट संवत 2038 के उपरान्त तैयार की गई जमाबन्दी संवत 2042–2050 (प्रदर्श–3) व इसके बाद के राजस्व रिकार्ड में केवल नाथूलाल, राधेश्याम अथवा इनके

वारिसान का ही नाम दर्ज किया गया तथा लालू अथवा उसके वारिसान का नाम हटा दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि वादीगण सेटलमेन्ट पूर्व के रिकार्ड अनुसार ग्राम रांवठा की विवादित आराजी में स्व. लालू के हिस्से पर अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम रांवठा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 3.33 हैक्टर में वादीगण को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 5 को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी क्रम–6 लगायत 10 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किये जाने तथा इनका 1/3, 1/3 हिस्सा पृथक पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार विवादित आराजी का 1/3, 1/3 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण के खाते दर्ज किये जाने तथा दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर भौतिक कब्जा दिलवाये जाने तथा पृथक नक्शा कायम किया जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

6- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 23.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमती हुकम कंवर)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कंवर, R.A.S.

बउनवान :–

1–3. नन्दकिशोर, मुकेश, रमेश पुत्रान स्व. लालू
4. सजना बाई पत्नी स्व. लालू
जाति मीणा, निवासीगण सरकारी स्कूल के पास, बडगांव दोहन्या, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5. नन्दकुंवर पुत्री स्व. लालू पत्नी राजेन्द्र मीणा, जाति मीणा, निवासिनी महीपपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

– (वादीगण)

बनाम

1. चन्दा बाई पुत्री स्व. राधेश्याम
2–4. दीपू, सोनू, नन्दबिहारी पुत्र स्व. राधेश्याम
5. प्रेमबाई पत्नी स्व. राधेश्याम
जाति मीणा, निवासीगण ग्राम बक्सपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
6–7. नन्दू, सुरेश बाई पुत्री स्व. नाथूलाल
8–9. प्रहलाद, रामभरोस, पुत्र स्व. नाथूलाल
10. पुष्पा बाई पत्नी स्व. नाथूलाल
जाति मीणा, निवासीगण ग्राम बक्सपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
11. बद्रीलाल पुत्र कंवरलाल, जाति भील, निवासी ग्राम खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, झालावाड
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 53, 88, 89, 90, 92A RTA
मुकदमा नम्बर : 35 / 23
निर्णय दिनांक : 23-10-2024

GCMS id : 2023 / 61

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री दयाराम सेन की उपस्थिति में वादपत्र की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 23–10–2024 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती हुकम कंवर, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम रांवठा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 3.33 हैक्टर में वादीगण को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 5 को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी क्रम–6 लगायत 10 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किये जाने तथा इनका 1/3, 1/3 हिस्सा पृथक पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार विवादित आराजी का 1/3, 1/3 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण के खाते दर्ज किये जाने तथा दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर भौतिक कब्जा दिलवाये जाने तथा पृथक नक्शा कायम किया जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई/टंकित करावाई जाकर आज तारीख 23.10.2024 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(श्रीमती हुकम कंवर)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

Nandkishore.Chanda